<u>FCR को सीसीटीएनएस से तैयार किये जाने विषयक/</u>
<u>अति महत्वपूर्ण/निर्देश।</u>

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ

01, तिलक मार्ग, लखनऊ

पत्रॉकःटीएस–सीसीटीएनएस–87/2014(III) दिनांकःजनवरी 14, 2019

सेवा में,

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0 प्र0।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।
4. जोन कोऑर्डिनेटर/ परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर/ जनपद कोऑर्डिनेटर, <u>समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।</u>

विषयः– **जनपदों द्वारा तैयार की जा रही FCR डाटा को CCTNS से प्राप्त करने हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर ''दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश से पंजीकृत अभियोगों, हत्या के प्रकरणों में विसरा प्रिजर्व होने की दशा में, वाहन चोरी के अभियोगों में, चैन, पर्स, मोबाइल स्नैचिंग आदि से संबंधित प्रकरणों में प्राथिमिकी दर्ज करते समय बरती जाने वाली सावधानियों तथा अनुपालन के संबंध में।**

अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश के स्तर से निर्गत पत्र संख्याः टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010 दिनांकः 24–10–2018 एवं दिनांकः02–01–2019 तथा पत्र संख्याः टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014 दिनांकः 11–12–2018 के द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल पर ''दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश से पंजीकृत अभियोगों, हत्या के प्रकरणों में विसरा प्रिजर्व होने की दशा में, वाहन चोरी के अभियोगों में, चैन, पर्स, मोबाइल स्नैचिंग आदि से संबंधित प्रकरणों में प्राथिमिकी दर्ज करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध जनपदों को निर्देशित किया गया है। परन्तु जनपदों द्वारा इस विषय में संबंधित थानाध्यक्षों एवं थानों पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर एवं भिज्ञ पुलिस कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं किया गया है। कुछ थानों पर उपरोक्त प्रकरणों के पंजीकरण के समय आपरेटरों एवं थानाध्यक्षों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिससे FCR को सीसीटीएनएस से तैयार किये जाने में समस्या आ रही है। **उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर थानों पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए/ सीसीटीएनएस कर्मी के माध्यम से निम्न बिन्दुवार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें:–**

1. वाहन चोरी से संबंधित प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करते समय/ **IIF–2** भरते समय ''सम्पत्ति रूचि'' टैब में ''सम्पत्ति प्रकार'' के अन्तर्गत आटो मोबाइल एवं अन्य आप्शन का चयन अवश्य करें।

<u>क्रमशः2/पर</u>

2. ऐसे मामले जिनमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सैम्पल भेजा गया है उन प्रकरणों में केस डायरी भरते समय मुख्य कार्य प्रदर्शन आप्शन के अन्तर्गत ''सम्पत्ति फॉरेंसिक साइंस लैब भेजी गयी'' आप्शन का चयन अवश्य करें।
3. मा0न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते समय ''सूचना का श्रोत'' के अन्तर्गत ''न्यायालय'' का चयन अवश्य करें।
4. चैन/ पर्स/ मोबाइल स्नैचिंग आदि से संबंधित प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज करते समय/ **IIF-2** भरते समय लूट के ''लघु शीर्षक'' में आवश्यकता के अनुसार '' चैन/ पर्स/ मोबाइल स्नैचिंग'' आप्शन का चयन अवश्य करें।

2— उपरोक्त के संबंध में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ जनपदीय पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों के साथ—साथ अपराध गोष्ठियों में अपने—अपने जनपद के थाना प्रभारियों/ कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण भी करते रहें तथा जोन/ परिक्षेत्र अधिकारियों के द्वारा समय—समय पर प्रश्नगत प्रकरण की समीक्षा की जाए। अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र जनपदीय पुलिस अधिकारियों एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए की गोष्ठियॉ आहूत कराकर जागरूक करें। जोन/ परिक्षेत्र स्तर पर आहूत की गयी गोष्ठियों के फोटोग्राफ तकनीकी सेवायें मुख्यालय स्तर पर कार्यरत उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह के WhatsAap नं0—7060599005 पर भेजी जाए। सीसीटीएनएस के संबंध में कोई समस्या हो तो तकनीकी सेवायें मुख्यालय स्तर पर कार्यरत प्रोग्रामर ग्रेड—2 श्री रामदूत सिंह के मोबाइल नं0—7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण पर व्यक्तिगत अपेक्षित अनुश्रवण करते हुए कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए/ सीसीटीएनएस कर्मी के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

14.1.19

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड—2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
5. श्री दिग्विजय सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित करते हुए प्रेषण रिपोर्ट पत्रावली पर अवस्थित करायें।